


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]
No. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

फा. सं. 61-03/2010/एनसीटीई (एन एंड एस)—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.अ. 750(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ब) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पत्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है :—

1. न्यूनतम योग्यता —

(i) कक्षा I-V

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शान्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शान्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

(ii) कक्षा VI-VIII

(क) बी.ए./बी.एससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

2. अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम - इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

3. विशेष भ्रनिवार्य प्रशिक्षण - वह व्यक्ति,

(क) जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद

प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले ।

(ख) जिसके पास डी. एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4. इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक :- इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :-

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक।

किन्तु बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के अध्यापकों या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) कक्षा I से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड.) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित 6-माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है ।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक।

5. कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक — इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/4/131/10-असा.]

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2010

F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No. S.O. 750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification :—

1. **Minimum Qualifications.-**

(i) **Classes I-V**

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B. El. Ed.)

OR

• 3344 GI/10-2 •



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011/श्रावण 11, 1933

No. 158]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2011/SRAVANA 11, 1933

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

फा. सं. 61-1/2011/राअशिप(मा.तथा मा.)—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के खण्ड 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 750(अ) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) एतद्द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने वाली दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. संख्या 61-1/2010-राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित संख्या 215 दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करती है (जिसका उल्लेख मूल अधिसूचना के रूप में किया जाएगा)—

(1) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

1. न्यूनतम अर्हताएं :

(i) कक्षा I से V

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(i)

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास होना।

(II) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

1. (ii) कक्षा VI—VIII

(क) स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(III) मूल अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

(1) प्राप्त किया जाने वाला प्रशिक्षण—ऐसा व्यक्ति भी—

(क) जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी.एड. अर्हता अथवा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) उत्तीर्ण किया हो, जनवरी, 2012 तक कक्षा I से V तक के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्रद 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

(ख) वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।

(ग) आरक्षण नीति : आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./पी.एच. आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(IV) मूल अधिसूचना के पैरा 5 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

5. (क) कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक : इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में लागू होते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकारों तथा अन्य स्कूल प्रबन्धक वर्गों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऐसे अध्यापकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती।

विक्रम सहाय, संयोजक

[विज्ञापन III/4/131/2011/असा.]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. सं. 61-1/2011/राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III के खण्ड 4 में प्रकाशित हुई थी।